



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21, 2004/श्रावण 30, 1926

No. 359]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21, 2004/SRAVANA 30, 1926

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2004

भारत गणराज्य की सरकार और ट्यूनिशिया गणराज्य की
सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 534(अ).—जबकि भारत गणराज्य की सरकार और ट्यूनिशिया गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि पर ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया, में 4 अप्रैल, 2000 को हस्ताक्षर हुए थे; और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान 28 जुलाई, 2004 को दिल्ली में हुआ था तथा संधि में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :—

भारत गणराज्य की सरकार और ट्यूनिशिया गणराज्य की सरकार;

अपराध के दमन और विशेष रूप से प्रत्यर्पण के मामलों में उनके बीच संबंधों को विनियमित करने तथा उनका संवर्धन करने में दोनों देशों के सहयोग को और अधिक प्रभावकारी बनाने की इच्छा से;

यह मानते हुए कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं।

अनुच्छेद-एक

प्रत्यर्पण की बाध्यता

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है जिसे एक राज्य के प्रदेश के भीतर अनुच्छेद-दो में यथा वर्णित किसी प्रत्यर्पण अपराध करने अथवा सिद्धदोष अपराधी होने के लिए दूसरे राज्य के प्रदेश में पाया गया हो, चाहे यह अपराध इस संधि के प्रवर्तन के पहले किया गया हो अथवा बाद में।

2576 GI/2004

(1)

2. यदि अनुरोधकर्ता राज्य अपने प्रदेश के बाहर किए गए अपराध के संबंध में न्यायाधिकार की मांग करता है तो प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण की मंजूरी उसी प्रकार प्रदान करेगा जैसे कि वह इसी प्रकार के मामले में अपने क्षेत्राधिकार में करेगा।

3. यदि अनुरोधकर्ता राज्य के किसी राष्ट्रिक ने किसी तीसरे राज्य में कोई अपराध किया हो तो प्रत्यर्पण की मंजूरी दी जाएगी।

4. किसी प्रत्यर्पण अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी उस दशा में भी दी जाएगी यदि वह अपराध प्रार्थित राज्य में किया गया हो बशर्ते कि वह अपराध उस राज्य के कानून के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष की कैद का दण्डनीय अपराध हो।

अनुच्छेद-दो

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. कोई भी अपराध केवल उसी स्थिति में प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए दण्डनीय अपराध हो।

2. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में है, जिसकी तलाश किसी सजा के प्रवर्तन के लिए है, तो उसे तभी किया जाएगा जब शेष सजा कम से कम छह माह की रह गई हो।

3. कोई अपराध दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत दण्डनीय है अथवा नहीं, यह तय करने में निम्नलिखित बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा :

(क) चाहे दोनों राज्यों के कानून घटित होने वाले अपराध के उन कृत्यों अथवा अकृत्यों को अपराध की उसी श्रेणी में रखते हों अथवा अपराध को उसी शब्दावली में परिभाषित करते हैं,

(ख) चाहे राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत घटित होने वाले अपराध के तत्वों में भिन्नता हो, केवल कृत्यों अथवा अकृत्यों की पूर्णता पर ही ध्यान दिया जाएगा।

4. (क) किसी बात के रहते हुए कोई भी अपराध प्रत्यर्पण अपराध होगा चाहे वह कराधान अथवा राजस्व से संबद्ध हो अथवा विशुद्ध रूप से वित्तीय प्रकार का हो,

(ख) जहां प्रत्यर्पण की मांग कराधान, सीमा शुल्क अथवा अन्य राजस्व मामलों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए की गई हो, प्रत्यर्पण इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा कि प्रार्थित राज्य का कानून उसी प्रकार के कर अथवा शुल्क नहीं लगाता है।

5. यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध में कई अलग-अलग अपराध शामिल हैं जिनमें से हरेक दोनों राज्यों के कानूनों द्वारा दण्डनीय हैं, परंतु जिनमें से कुछ इस अनुच्छेद के पैरा-1 और 2 में कथित शर्तें पूरी नहीं करते हों, प्रार्थित राज्य बाद में वर्णित अपराधों के लिए प्रत्यर्पण कर सकता है बशर्ते कि उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए किया जाना है।

6. कोई भी वह अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा यदि इस अनुच्छेद के पैरा-1 में वर्णित किसी अपराध से पूर्व अथवा बाद में अपराध करने का प्रयास किया गया हो अथवा षडयंत्र रचा गया हो, सहायता अथवा प्रेरणा दी गई हो, परामर्श अथवा अपराध करने के लिए सहायक सिद्ध हुआ हो।

अनुच्छेद-तीन

राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

कोई भी संविदाकारी राज्य वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि वह व्यक्ति अपराध घटित होने के समय उसका अपना ही राष्ट्रिक हो।

अनुच्छेद-चार

राजनीतिक अपराध के अपवाद

1. प्रत्यर्पण की मंजूरी किसी ऐसे अपराध के लिए नहीं दी जाएगी जिसके बारे में प्रार्थित राज्य यह समझता है कि जिसके लिए अनुरोध किया गया है वह एक राजनीतिक अपराध है।

2. निम्नलिखित अपराधों को राजनीतिक कोटि के अपराधों में नहीं गिना जाएगा :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों और संधियों की परिधि में आने वाले अपराध जिनके कि दोनों संविदाकारी राज्य पक्षकार हैं,

(ख) दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के राज्याध्यक्ष अथवा उसके परिवार के सदस्यों अथवा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जान लेने अथवा उसका प्रयास करने का अपराध,

(ग) मानव जीवन, देह, व्यक्ति और संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

(क) हत्या,

(ख) मानव वध अथवा आपराधिक मानव वध,

(ग) किसी हथियार, घातक पदार्थ अथवा किसी अन्य के माध्यम से वास्तविक रूप से शारीरिक क्षति अथवा चोट पहुंचाने के लिए किया गया प्रहार, दुर्भावना से घायल करना अथवा गम्भीर शारीरिक चोट पहुंचाना,

(घ) जीवन को खतरे में डालने के लिए किया गया ऐसा कोई विस्फोट अथवा जिससे संपत्ति का भारी नुकसान हुआ हो,

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विस्फोटक सामग्री का निर्माण करना अथवा उसे अपने अधिकार में रखना जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जानमाल को भारी नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो,

(च) किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा गोला-बारूद अपने पास रखना जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन को खतरे में डालने का इरादा रखता हो,

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी या नजरबंद करने से रोकने की इच्छा से आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना,

(ज) सार्वजनिक उपयोगिता के लिए इस्तेमाल होने वाली या अन्यथा जीवन को जोखिम में डालने की इच्छा से सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने या इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इससे दूसरे के जीवन को जोखिम हो सकता है,

(झ) बन्धक बनाने सहित अपहरण, हरण, झूठे तरीके से बन्दी बनाना या गैर-कानूनी रूप से नजरबन्द करना,

(ञ) हत्या के लिए उकसाना,

(ट) आतंकवाद से सम्बन्धित कोई अन्य अपराध जो अनुरोध के समय, प्रार्थित पक्ष के कानून के अन्तर्गत राजनीतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाता हो।

अनुच्छेद-पांच

प्रत्यर्पण और अभियोग

यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध को अनुच्छेद-तीन और अनुच्छेद-छह (क), (ख) में उल्लिखित आधारों में से किसी एक आधार पर अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थित राज्य को यदि अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, वांछित व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए उसके अपने कानून के अनुसरण में सभी संभव उपाय करेगा। इस प्रयोजन के लिए, अपराध से सम्बन्धित फाइलें, दस्तावेज और प्रतिदर्श उस राज्य को भेजी जाएंगी। अनुरोधकर्ता राज्य को मुकदमों के परिणाम के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद-छह

प्रत्यर्पण के लिए इंकार करने के आधार

निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में भी प्रत्यर्पण मंजूर नहीं किया जाएगा :

(क) जहाँ यह विश्वास करने के ठोस आधार मौजूद हों कि प्रत्यर्पण का अनुरोध किसी साधारण फौजदारी अपराध के लिए

किया गया है, अभियोजन का उद्देश्य अथवा इसे दण्ड उस व्यक्ति की जाति, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनीतिक विचारधारा को ध्यान में रख कर दिया जा रहा है अथवा उस व्यक्ति की स्थिति इनमें से किसी कारण से पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो सकती है,

(ख) यदि प्रार्थित राज्य उस अपराध के संबंध में क्षेत्राधिकार का आग्रह करता है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है,

(ग) यदि अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अनुसार, उस राज्य का उस अपराध के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है,

(घ) यदि किसी भी राज्य के कानून के अनुसार वांछित व्यक्ति समय बीत जाने के कारण अभियोजन या दण्ड से मुक्त हो गया है,

(ङ) यदि किसी अपराध या अपराधों के संबंध में जिसके लिए प्रत्यर्पण की कामना की गई है प्रत्यर्पण का अनुरोध करने से पूर्व किसी भी राज्य ने राजक्षमा प्रदान की है,

(च) यदि किसी वांछित व्यक्ति पर पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है और उस अपराध अथवा अपराधों के संबंध में जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वह अन्तिम रूप से दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध कर दिया गया है,

(छ) यदि वांछित व्यक्ति उस अपराध के संबंध में जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, प्रार्थित राज्य में कार्यवाहियों के अध्यक्षीन है,

(ज) यदि प्रत्यर्पण आयु या स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानवता के आधार पर अप्रासंगिक है,

(झ) जब कोई अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, सैन्य अपराध है, जो संविदाकारी राज्यों के सामान्य अपराधिक कानून के अधीन भी कोई अपराध नहीं है।

अनुच्छेद-सात

विशिष्टता का नियम

1. इस संधि के अन्तर्गत प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित को छोड़कर अभ्यर्पण से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, बन्दी नहीं बनाया जाएगा अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पद कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा :

(क) ऐसा कोई अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया गया हो,

(ख) ऐसा कोई अन्य अपराध जिसके संबंध में प्रार्थित राज्य की सहमति हो,

(ग) कोई ऐसा अपराध, जिसके संबंध में उसकी वापसी के लिए आदेश कानूनी तौर पर न दिया गया हो, को छोड़कर उसकी वापसी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सिद्ध तथ्यों द्वारा उजागर कोई छोटा अपराध।

2. इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रार्थित राज्य की सहमति के लिए अनुरोध के साथ अनुच्छेद-ग्यारह के पैरा 3 या 4 में उल्लिखित दस्तावेज और अपराध के संबंध में प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी बयान का कानूनी रिकार्ड संलग्न होना चाहिए।

3. यदि व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य छोड़ने का अवसर मिल चुका है और उसने उस अपराध के संबंध में जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया था, अन्तिम रिहाई के 45 दिनों के भीतर नहीं छोड़ा है या यदि वह व्यक्ति उसे छोड़ने के बाद अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में स्वेच्छा से वापस आ गया है तो इस अनुच्छेद का पैरा 1 लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद-आठ

पुनः प्रत्यर्पण

1. संविदाकारी राज्य जिसके लिए उस व्यक्ति को इस संधि के अन्तर्गत प्रत्यर्पित किया गया है, प्रत्यर्पित व्यक्ति को संविदाकारी राज्य की अनुमति के बिना, किसी तीसरे राज्य को पुनः प्रत्यर्पित नहीं करेगा।

2. पुनः प्रत्यर्पण की सहमति के अनुरोध के साथ, तीसरे राज्य के प्रत्यावर्तन दस्तावेजों की मूल या प्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

3. अनुच्छेद-सात के पैरा 3 में निर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद-नौ

समवर्ती अनुरोध

1. यदि उसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए एक या एक से अधिक अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो प्रार्थित राज्य यह निर्धारित करेगा कि उनमें से किस राज्य के लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना है और वह अपना निर्णय अनुरोधकर्ता राज्य को सूचित कर देगा।

2. इस बात को तय करने में कि उस व्यक्ति को किस राज्य के लिए प्रत्यर्पित किया जाना है, प्रार्थित राज्य सभी परिस्थितियों विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान रखेगा :

(क) यदि अनुरोध भिन्न-भिन्न अपराधों से संबंधित है—
अपराधों की अपेक्षाकृत गंभीरता,

(ख) प्रत्येक अपराध के घटित होने का समय और स्थान;

(ग) अनुरोध की सम्बद्ध तारीखें,

(घ) व्यक्ति की राष्ट्रीयता।

अनुच्छेद-दस

निर्णय की अधिसूचना

1. अनुरोधकर्ता राज्य राजनयिक माध्यमों के जरिए यथासंभव शीघ्र प्रत्यर्पण से संबंधित अनुरोध के अपने निर्णय की जानकारी अनुरोधकर्ता राज्य को देगा।

2. पूर्ण अथवा आंशिक अस्वीकृति के कारण बताये जाएंगे।

अनुच्छेद-ग्यारह**संचार माध्यम तथा अपेक्षित कागजात**

1. प्रत्यर्पण का अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा तथा राजनयिक माध्यमों के जरिए इसे सम्प्रेषित किया जाएगा।

2. अनुरोध के साथ हर हाल में निम्नलिखित दिये जाएंगे :

(क) वांछित व्यक्ति का यथासंभव सही-सही विवरण तथा ऐसी कोई अन्य जानकारी जिससे उस व्यक्ति की पहचान, राष्ट्रीयता तथा अवस्थिति का पता लगाने में सहायता मिल सके,

(ख) अपराध किये जाने की तारीख तथा स्थान सहित मामले से संबंधित तथ्यों का एक विवरण,

(ग) अपराध का विधिक विवरण तथा उस पर दिये जाने वाले अधिकतम दण्ड का विवरण तथा उस अपराध पर लागू होने वाले अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के सभी प्रावधानों का पाठ।

3. यदि अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में हो जिस पर अपराध का आरोप हो तो इसमें निम्नलिखित भी अवश्य होने चाहिए :

(क) उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट की मूल अथवा एक अभिप्रमाणित प्रति अथवा समकक्ष आदेश,

(ख) अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अनुसार ऐसे साक्ष्य से वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा विचारण के लिए उसकी सुपुर्दगी का औचित्य सिद्ध होगा, यदि अपराध अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में किया गया था।

4. यदि आदेश दोषसिद्ध व्यक्ति से संबंधित हो तो इसके समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुत किये जाएंगे :

(क) दोषसिद्धि के निर्णय की मूल अथवा एक अभिप्रमाणित प्रति, तथा

(ख) यदि कोई सजा लागू कर दी गई है तो, सजा लागू करने संबंधी तथा सजा लागू किए जाने की सीमा तथा तत्काल लागू किए जाने संबंधी विवरण की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति।

अनुच्छेद-बारह**साक्ष्य का प्रारूप**

1. कोई दस्तावेज जो अनुच्छेद-ग्यारह के अनुसार प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ प्राप्त होता है उसे किसी प्रत्यर्पण कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसे अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में विधिवत प्रमाणीकृत किया गया हो।

2. कोई दस्तावेज इस करार के उद्देश्यों के लिए विधिवत प्रमाणीकृत है यदि :

(क) वारंट है तो यह हस्ताक्षरित हो तथा अन्य मामलों में इसकी प्रमाणिकता अनुरोधकर्ता राज्य के किसी न्यायाधीश

दण्डाधिकारी तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो, तथा

(ख) इसे अनुरोधकर्ता राज्य के यथोचित मंत्री के सरकारी मोहर द्वारा सीलबन्द किया गया हो।

3. पैराग्राफ-1 में वर्णित साक्ष्य अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य की प्रत्यर्पण कार्यवाही में तभी स्वीकार्य होगा यदि यह अनुरोधकर्ता राज्य अथवा किसी तीसरे राज्य के कानूनों के अनुसार स्थापित है।

अनुच्छेद-तेरह**अतिरिक्त सूचना**

यदि अनुरोधकर्ता राज्य को ऐसा लगता है कि प्रत्यर्पण अनुरोध में दिया गया साक्ष्य या सूचना अनुरोध का निर्णय लिये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य व सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

अनुच्छेद-चौदह**प्रत्यर्पण कार्यवाही का अधित्याग**

यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य में समर्पण करने पर सहमत हो जाता है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य आगे की कार्यवाही के बिना ही शीघ्रतिशीघ्र उस व्यक्ति को समर्पित कर देगा बशर्ते कि यह उसके कानून के अनुरूप हो।

अनुच्छेद-पन्द्रह**प्रत्यर्पण में आपसी विधिक सहायता**

जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उससे संबंधित आपराधिक मामलों में प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, अपने कानून द्वारा अनुमत सीमा तक अधिकतम आपसी सहायता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद-सोलह**व्यक्ति का समर्पण**

1. यदि प्रत्यर्पण की अनुमति दी जाती है तो संविदाकारी पक्ष समर्पण की तारीख और स्थान का निर्णय करेंगे तथा अनुरोधकर्ता राज्य को इस बात की सूचना दी जाएगी कि समर्पण के उद्देश्य से वांछित व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए कैद किया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 3 के प्रावधानों के अधधीन यदि वांछित व्यक्ति को निर्धारित तारीख को अधिकार में नहीं ले लिया गया है तो उसे 40 दिनों की समाप्ति के पश्चात् मुक्त किया जा सकता है तथा अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य उसी अपराध के लिए उसे प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है।

3. यदि अपरिहार्य परिस्थितिवाश कोई संविदाकारी राज्य पैराग्राफ-2 में निर्धारित अवधि के अन्दर प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति को समर्पित नहीं कर पाता है अथवा नियंत्रण में नहीं ले पाता है तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा। दोनों राज्य समर्पण की नयी तारीख पर सहमत होंगे तथा इस अनुच्छेद के पैरा-2 के प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद-सत्रह**समर्पण का स्थगन**

अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति के समर्पण को स्थगित कर सकता है। यदि उस व्यक्ति पर कोई अन्य मुकदमा चलाया जा रहा है अथवा वह ऐसे अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए सजा काट रहा हो जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित करने को कहा गया है तथा वह इसकी सूचना अनुरोधकर्ता राज्य को देगा।

अनुच्छेद-अठारह**सम्पत्ति का अभ्यर्पण**

1. यदि प्रत्यर्पण स्वीकृत हो जाता है, वांछित व्यक्ति के कब्जे में पाई गई किसी प्रकार की सम्पत्ति और धनराशि सहित सभी वस्तुओं का जो साक्ष्य के रूप में अपेक्षित हो सकती है या जिन्हें अपराधों के फलस्वरूप अर्जित किया गया है, अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानून द्वारा अनुमत सीमा तक अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा अभ्यर्पण किया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैरा-1 में वर्णित सम्पत्ति, यदि प्रत्यर्पण स्वीकृत हो गया है, हस्तांतरित की जाएगी, चाहे वांछित व्यक्ति की मृत्यु या बच कर भाग जाने के कारण प्रत्यर्पण न भी हो सका हो।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में यदि उक्त सम्पत्ति अभिग्रहण अथवा अभिहरण के अधीन है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य आपराधिक कार्यवाहियों के लम्बित रहने के संबंध में अस्थायी रूप से उसे रख सकता है अथवा उसे इस शर्त पर सुपुर्द कर सकता है कि वह लौटा दी जाएगी।

4. उक्त सम्पत्ति के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अथवा किसी अन्य राज्य या किसी पक्षकार ने कोई अधिकार अर्जित कर लिया है, उसे परिरक्षित किया जाएगा। जहाँ कहीं ये अधिकार विद्यमान हैं, वह सम्पत्ति मुकदमे के पश्चात् यथाशीघ्र अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य को बिना प्रभार के वापस लौटा दी जाएगी।

अनुच्छेद-उन्नीस**अस्थायी गिरफ्तारी**

1. तात्कालिकता की स्थिति में, कोई संविदाकारी राज्य किसी वांछित व्यक्ति की अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है।

2. अस्थायी गिरफ्तारी के लिए अनुरोध राजनयिक माध्यम के जरिए अथवा इन्टरपोल के जरिए किया जाएगा। अनुरोध डाक अथवा तार द्वारा या किसी अन्य माध्यम से जिसका लिखित में साक्ष्य हो, द्वारा सम्प्रेषित किया जाए।

3. अनुरोध में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा :

(क) वांछित व्यक्ति का हुलिया,

(ख) अपराध की प्रकृति का विवरण तथा समय और स्थान जहाँ वह तथाकथित अपराध किया गया है,

(ग) अनुच्छेद ग्यारह के पैरा-3 (क) या 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी एक के उपलब्ध होने का एक विवरण, और

(घ) वह विवरण जो प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजने का आशय है।

4. इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। अनुरोधकर्ता राज्य अपने अनुरोध के परिणाम को तत्काल अधिसूचित करेगा।

5. गिरफ्तार व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन की अवधि समाप्त होने पर रिहा कर दिया जाएगा यदि संगत दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित उसके प्रत्यर्पण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है।

6. इस प्रावधान से पुनः गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण कार्यवाहियाँ आरम्भ करने पर रोक नहीं लगेगी यदि वह अनुरोध तत्पश्चात् प्राप्त हो जाता है।

अनुच्छेद-बीस**पारगमन**

1. जहाँ कोई व्यक्ति किसी तीसरे राज्य से अन्य संविदाकारी राज्य के प्रदेश के जरिए किसी संविदाकारी राज्य के लिए प्रत्यर्पित किया जाना है, वह राज्य जिसके लिए वह व्यक्ति प्रत्यर्पित किया जाना है, अन्य राज्य से अपने प्रदेश के जरिए पारगमन की अनुमति का अनुरोध करेगा।

2. पारगमन का अनुरोध राजनयिक माध्यमों में जरिए सम्प्रेषित होगा और अनुच्छेद ग्यारह के पैरा 3 (क) या 4 में वर्णित दस्तावेज तथा ले जाए जा रहे व्यक्ति का हुलिया और बाद के तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण संलग्न हो।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य इस प्रकार के अनुरोध को यथाशीघ्र स्वीकार करेगा बशर्ते कि उसके द्वारा उसकी सम्प्रभुता, सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो।

4. पारगमन का राज्य विधिक प्रावधान सुनिश्चित करेगा ताकि पारगमन के दौरान उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सके।

5. यदि किसी वायुयान, जिसकी अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में उतरने की कोई योजना नहीं है, का उपयोग किया जा रहा है तो पारगमन के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है।

6. तथापि उस मामले में, उस राज्य के लिए इस अनुच्छेद के पैरा -2 में वर्णित दस्तावेजों की उपलब्धता के बारे में जिसके प्रदेश की वायु सीमा में उड़ना होगा, नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस का प्रभाव पारगमन अनुरोध की प्राप्ति के लम्बित रहते हुए बिना पूर्व निर्धारित अवतरण की स्थिति में अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध होगा।

अनुच्छेद-इक्कीस**भाषा**

इस संधि के तहत प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा।

2576 GI/04-2

अनुच्छेद-बाईस**व्यय**

अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में किए गए व्यय उसी राज्य द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि अनुरोधकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति को भेजने के संबंध में किया गया व्यय और पारगमन के संबंध में किया गया किसी प्रकार का व्यय अनुरोधकर्ता राज्य वहन करेगा।

अनुच्छेद-तेईस**अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों और संधियों के अधीन दायित्व**

वर्तमान संधि अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों और संधियों जिनके वे पक्षकार हैं, से उत्पन्न संविदाकारी राज्यों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुच्छेद-चौबीस**लागू कानून**

जहाँ इस संधि में अन्यथा उपबन्ध न हो, अस्थायी गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण और पारगमन संबंधी कार्यवाहियाँ अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य की विधि और उन अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों और संधियों जिनके दोनों संविदाकारी पक्षकार हैं, द्वारा अधिशासित होंगी।

अनुच्छेद-पच्चीस**अनुसमर्थन, प्रवर्तन और समाप्ति**

1. यह संधि अनुसमर्थन के अधधीन होगी और अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र किया जाएगा। यह अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रभावी होगी।

2. दोनों में से कोई एक पक्षकार इस संधि को राजनयिक माध्यमों के जरिए अन्य राज्य को लिखित सूचना देकर किसी भी समय समाप्त कर सकता है तथा समाप्ति इस नोटिस की प्राप्ति के छह माह के पश्चात् प्रभावी होगी।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

ट्यूनिश में आज, सन् दो हजार के अप्रैल माह के चार.....वें दिन हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल पाठों में सम्पन्न, निर्वचन में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) के खण्ड-3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय-3 को छोड़कर उक्त अधिनियम के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ट्यूनिशिया गणराज्य पर लागू होंगे।

[फा. सं० टी 413/83/96-97]

डॉ. ए. के. अमरोही संयुक्त सचिव (सी पी वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 19th August, 2004

Extradition Treaty Between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Tunisia

G.S.R. 534(E).—Whereas the Extradition between the Government of the Republic of India and the

Government of the Republic of Tunisia was signed at Tunis, Tunisia on 4th April, 2000; and the instruments of ratification exchanged at New Delhi on 28th July, 2004 and which Treaty provides as follows :

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Tunisia

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime and, specifically, to regulate and promote the relations between them in matters of extradition;

Recognising that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows :

Article 1**Obligation to Extradite**

(1) Each Contracting State undertakes to extradite to the other, in circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of the one State, is found within the territory of the other State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

(2) If the Requesting State asserts jurisdiction in respect of an offence committed outside its territory the Requested State shall grant extradition where in a similar case it would have jurisdiction.

(3) Extradition shall be granted if the offence is committed in a third State by a national of the Requesting State.

(4) Extradition shall also be granted for an extradition Offence, if occurred in the Requested State provided it is an offence under the law of that State punishable with imprisonment for a term of at least one year.

Article 2**Extraditable Offences**

(1) An offence shall be an extraditable offence only if it is punishable under the laws of both Contracting States by imprisonment for a period of at least one year.

(2) If request for extradition relates to a person wanted for enforcement of a sentence, extradition shall be granted only if a period of at least six months remains to be served.

(3) In determining whether an offence is punishable under the laws of both Contracting States, it shall not matter whether :

a—The laws of both States place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology;

b—Under the laws of the States, the constituent elements of the offence differ; it is the totality of the acts or omissions that shall be taken into account.

(4) a—An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

b—Where extradition is sought for an offence against a law relating to taxation, customs, duties or other revenue matters, extradition may not be refused on the ground that the law of the Requested State does not impose the same kind of tax or duty.

(5) If the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of both States, but some of which do not fulfil other conditions set out in paragraphs 1 and 2 of this article, the Requested State may grant extradition for the latter offences provided the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

(6) An offence shall also be an extraditable offence if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counselling or procuring the commission of, or being an accessory before or after the fact, to any offence described in paragraph 1 of this article.

Article 3

Extradition of Nationals

Neither of the Contracting States shall be bound to extradite the claimed person if that person is its own national at the time of the commission of the offence.

Article 4

The political offence exception

(1) Extradition shall not be granted if the offence in respect of which it is Requested is considered by the Requested State as a political offence.

(2) The following offences shall not be regarded as offences of a political character :

- (A) Offences within the scope of International Conventions and Treaties to which both the Contracting states are parties;
- (B) The taking or attempted taking of the life of a Head of State or members of his family or of a member of the Council of Ministers of either Contracting State;
- (C) Crimes affecting human life, body, person and property notably :
 - a—murder;
 - b—manslaughter or culpable homicide;
 - c—assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting

grivous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;

d—the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;

e—the making or possession of an explosive substance by a person, who intends either himself or through another person, to endanger life or cause serious damage to property;

f—the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life;

g—the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;

h—damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;

i—kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;

j—incitement to murder;

k—any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested Party, not to be regarded as an offence of a political character.

Article 5

Extradition and prosecution

If a request for extradition is refused only on one of the grounds mentioned in Article 3 and Article 6 (a, b), the Requested State shall, if asked to do so by the Requesting State, take all possible measures in accordance with its own law to prosecute the person claimed. For this purpose, the files, documents and exhibits relating to the offence shall be transmitted to that State. The Requesting State shall be informed of the result of the prosecution.

Article 6

Grounds for refusal of extradition

Extradition shall not be granted in any of the following circumstances :

a—When there are substantial grounds for believing that a request for extradition for an ordinary criminal offence has been made for, the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality or political opinions or that the person's position may be prejudiced for any of these reasons;

b—If the Requested State asserts jurisdiction in respect of the offence for which extradition is requested;

c—If, according to the Law of the Requesting State, that State has no jurisdiction in respect of the offence for which extradition is requested;

d—If, according to the law of either State, the person claimed has become immune by reason of lapse of time from prosecution or punishment;

e—If an amnesty has been granted in either State before the extradition request has been made in respect of the offence or offences for which the extradition is sought;

f—If the person claimed, has already been tried and finally acquitted or convicted in respect of the offence or offences for which extradition is sought;

g—If the person claimed is the subject of proceedings in the Requested State in respect of the offence for which extradition is Requested;

h—If extradition would be incompatible with humanitarian considerations in view of age or health;

i—when the offence for which extradition is requested is a military offence, which is not also an offence under the ordinary criminal law of the Contracting States.

Article 7

Rule of speciality

(1) A person extradited under this Treaty shall not be proceeded against, sentenced, detained, or subjected to any other restriction of personal liberty in the territory of the Requesting State for any offence committed before surrender other than;

a—an offence for which extradition was granted;

b—Any other offence in respect of which the Requested State consents.

c—Any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his return other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made.

(2) A request for the consent of the Requested State under this Article shall be accompanied by the documents mentioned in paragraph 3 or 4 of Article 11 and a legal record of any statement made by the extradited person with respect to the offence.

(3) Paragraph 1 of this Article shall not apply if the person has had an opportunity to leave the Requesting State and has not done so within 45 days of final discharge in respect of the offence for which that person was extradited or if the person has voluntarily returned to the territory of the Requesting State after leaving it.

Article 8

Re-extradition

(1) The Contracting State to which a person has been extradited under this treaty shall not re-extradite him

to a third State without the consent of the Contracting State that extradited him.

(2) The request for consent to re-extradition shall be accompanied by original or certified copied of the extradition documents of the third State.

(3) Such consent is not required under the conditions set out in paragraph 3 of Article 7.

Article 9

Concurrent requests

(1) If requests are received from the Requesting State and from one or more other States for the extradition of the same person, the Requested State shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify the Requesting State of its decision.

(2) In determining to which State a person is to be extradited, the Requested State shall have regard to all the circumstances and, in particular to :

a—If the requests relate to different offences—the relative seriousness of the offences;

b—The time and place of commission of each offence;

c—the respective dates of the requests;

d—the nationality of the person;

Article 10

Notification of decision

(1) The Requested State shall inform as soon as possible the Requesting State through the diplomatic channels of its decision with regard to the request for extradition.

(2) Reasons shall be given for any complete or partial rejection.

Article 11

Channel of communication and required documents

(1) The request for extradition shall be made in writing and transmitted through the diplomatic channel.

(2) The request shall be accompanied in all cases by :

a—as accurate a description as possible of the person sought, and any other information which will help to establish that person's identity, nationality, and location;

b—a Statement of the pertinent facts of the case including the date and place of commission of the offence;

c—the legal description of the offence and a statement of the maximum penalties therefor and the text of all provisions of the law of the Requesting State applicable to the offence.

(3) If the request relates to a person charged with an offence, it must also be accompanied by :

a—the original or a certified copy of the warrant for arrest or the equivalent order issued by a competent authority of the Requesting State for producing that person before the court;

b—such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify the arrest and the committal for trial of the claimed person if the offence had been committed in the territory of the Requested State.

(4) When the request relates to a convicted person, it shall also be supported :

a—by the original or a certified copy of the judgment of conviction; and

b—if a sentence has been imposed, by the original or a certified copy of the sentence and a statement of the extent to which it has been carried out and that it is immediately enforceable.

Article 12

Form of evidence

(1) A document that, in accordance with Article 11, accompanies a request for extradition shall be admitted in evidence in any extradition proceedings, if duly authenticated, in the territory of the Requesting State.

(2) A document is duly authenticated for the purposes of this Treaty if :

a—in the case of a warrant it is signed, and in any other case its authenticity is certified, by a Judge, Magistrate or other competent authority in the Requesting State; and

b—it is sealed with the official seal of an appropriate Minister of the Requesting State.

(3) The evidence mentioned in paragraph 1 shall be admissible in extradition proceedings in the Requested State if it is established in accordance with the law of the Requesting State or any third State.

Article 13

Additional information

If the Requested State considers that the evidence or information provided in a request of extradition is not sufficient to enable it to decide on the request, additional evidence or information shall be submitted to it within such reasonable time as the Requested State shall specify.

Article 14

Waiver of extradition proceedings

If the person claimed consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may, subject to its laws, surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings.

Article 15

Mutual legal assistance in extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 16

Surrender of the person

(1) If extradition is granted, the Contracting States will decide the place and date of surrender and the Requesting State shall be informed of length of time for

which the person claimed was detained with a view to surrender.

(2) Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, if the person claimed has not been taken over on the appointed date, he may be released after the expiry of 40 days and the Requested State may refuse to extradite him for the same offence.

(3) If circumstances beyond its control prevent a Contracting State from surrendering or taking over the person to be extradited within the time stipulated in paragraph 2, it shall notify the other Contracting State. The two States shall agree on a new date for surrender and the provisions of paragraph 2 of this Article shall apply.

Article 17

Postponement of surrender

The Requested State may postpone the surrender of a person claimed if that person is being proceeded against, or is serving a sentence imposed for an offence other than that for which extradition is sought and shall so inform the Requesting State.

Article 18

Surrender of property

(1) If extradition is granted, all articles including property of any kind and money found in the possession of the person claimed that may be required as evidence or that have been acquired as a result of the offence shall, to the extent permitted by the law of the Requested State, be surrendered by the Requested State.

(2) The property mentioned in paragraph 1 of this Article shall be handed over even if extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death or escape of the person claimed.

(3) When the said property is liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over on condition that it be returned.

(4) Any right which the Requested State or any other State or party may have acquired in the said property shall be preserved. Where these rights exist, the property shall be returned without charge to the Requested State as soon as possible after the trial.

Article 19

Provisional arrest

(1) In case of urgency, a Contracting State may request the provisional arrest of a person sought.

(2) The request for provisional arrest shall be made through the diplomatic channel or through INTERPOL. The request may be transmitted by post or telegraph or by any other means affording evidence in writing.

(3) The request shall contain :

a—A description of the person sought;

b—A statement of the nature of the offence and of the time at which and the place where it is alleged to have been committed;

c—A statement of the existence of one of the documents referred to in paragraph 3 (a) or 4 of Article 11; and

d—A statement that it is intended to send a request for extradition.

(4) On receipt of such a request, the Requested State shall take the appropriate steps to secure the arrest of the person claimed. The Requesting State shall be promptly notified of the result of its request.

(5) The person arrested shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if a request for his extradition supported by the relevant documents shall not have been received.

(6) This provision shall not prevent rearrest and institution of the extradition proceedings if the request is subsequently received.

Article 20

Transit

(1) Where a person is to be extradited to a Contracting State from a third State through the territory of the other Contracting State, the State to which the person is to be extradited shall request the other State to permit transit through its territory.

(2) The request of transit shall be transmitted through diplomatic channels and be accompanied by the documents mentioned in paragraph 3 (a) or 4 of Article 11 and the description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case.

(3) The Requested State shall grant such a request expeditiously unless its sovereignty, security or public order would be prejudiced thereby.

(4) The State of transit shall ensure legal provisions enabling the person to be held in custody during transit.

(5) If an air transportation, that doesn't plan a landing in the territory of the Requested State, is going to be used, it's not necessary to send a request of transit.

(6) Nevertheless, in that case, a notice shall be given to the State the territory of which will be flown over, about the existence of the documents mentioned in the paragraph 2 of this Article. This notice will have the effect of a request of provisional arrest in the event of an unscheduled landing pending receipt of the transit request.

Article 21

Language

Documents submitted under this Treaty shall be accompanied by a translation in English.

Article 22

Expenses

Expenses incurred in the territory of the Requested State shall be borne by that State. However, the Requesting State shall bear the expenses incurred in respect of conveying the person claimed to the Requesting State and any expenses incurred in respect of transit.

Article 23

Obligation under

International Conventions and Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and the obligations of the Contracting States, arising from International Conventions and Treaties to which they are parties.

Article 24

Applicable Laws

Except where this Treaty otherwise provides, proceedings with regard to provisional arrest, extradition and transit shall be governed by the law of the Requested State and the International Conventions and Treaties to which both Contracting States are parties.

Article 25

Ratification, Entry into Force and Termination

(1) This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

(2) Either Contracting State may terminate this Treaty at any time by giving notice in writing to the other State through the diplomatic channel, and the termination shall become effective six months after the receipt of the notice.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in duplicate at Tunis this fourth day of April, 2000 in Hindi, Arabic and English languages. In case of any interpretational difference, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Tunisia with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. T-413/83/96-97]

DR. A. K. AMROHI, Jt. Secy. (CPV)